

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मृतक रतीलाल ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चाटियाखेडी, तहसील गोगुन्दा में वादी के पिता चतरभुज जी की चल अचल सम्पत्ति स्थित है, जिनका देहावसान करीब ढाई वर्ष पूर्व हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय चतरभुज जी के पुत्र एवं पुत्रियां हैं तथा सभी का समान हक व अधिकार है। वाद पत्र के साथ संलग्न अनुसूची "अ" में वर्णित आराजियात चतरभुज के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा अनुसूची "ब" की आराजियात गोकुललाल पिता गणेशलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है, किन्तु अनुसूची "ब" वर्णित आराजियात पर कब्जा चतरभुज का ही था, जिस संबंध में चतरभुज द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अनुसूची "ब" वर्णित आराजियात का खातेदार चतरभुज जी को घोषित किया गया, किन्तु चतरभुज जी के निधन के बाद राजस्व रेकार्ड में सही अंकन नहीं हो सका, जबकि उक्त आराजियात पर कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सम्मिलित रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 जानबूझकर वादी से दुश्मनी रखते हैं तथा मुकदमेबाजी पर उतारू रहते हैं तथा गांव चाटियाखेडी में वादी द्वारा बनाये गये मकान को भी इंकार करते हैं तथा उक्त आराजियात में हिस्से देने से इंकार करते हैं। अतः वाद पत्र के साथ संलग्न अनुसूची "अ" एवं "ब" वर्णित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न ही उनका कब्जा है। वादी संयुक्त परिवार की भूमि को अकेले हड़पना चाहता है। वादी ने गोकुललाल व अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। साथ ही प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी बड़ा भाई होने से भूमि का क्रय उसके नाम किया गया, जबकि मौजा गोगुन्दा की आराजी</p>	



प्र.सं. 36/23, 37/23 प्रेमशंकर बनाम श्रीमती जमनीबाई व अन्य

नंबर 4710, 4711, 4720, 4723 से 4729 रकबा 1.6700 हेक्टर पर कब्जा सम्मिलित रूप से चला आ रहा है। साबिक पैमाईश में भूमि चतरभुज के खाते में अंकित थी जिसके नये नंबर 4698 तथा आराजी चाह नंबर 4707 हैं। आराजी चाह नंबर 4707 में चतरभुज का 1/10 हिस्सा तथा वादी का 1/20 हिस्सा अंकित है, जबकि वादी परिवार का मुखिया होने से केवल उसके नाम अंकित है। अतः प्रतिदावा स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजियात प्रतिवादीगण की विधिक होने की घोषणा फरमायी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 10 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.06.2009 से वादी का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30.07.2012 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.06.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 24.04.2023 को प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 108/2004 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा दोनों ही अपीलों में पक्षकारान एवं विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 23 व 24 गोपीलाल व निलेश जिन्हें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.08.2024 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 23 व 24 संस्थित किया गया है, उसकी ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा तथा उसके पश्चात् पूर्णकालिक गोगुन्दा उपखण्ड

प्र.सं. 36/23, 37/23 प्रेमशंकर बनाम श्रीमती जमनीबाई व अन्य

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा उसे बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अगस्त 2022 में उनके द्वारा नकले प्राप्त की गयी तत्पश्चात् अपीलान्ट बीमार हो जाने से अपीलें प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अधिवक्ता की बहस सुनकर प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो 10 वर्षों से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं होने अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.06.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2012 के विरुद्ध उक्त अपीलें दिनांक 24.04.2023 को प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि प्रारम्भिक डिक्री की अपील की समयावधि दिनांक 10.08.2009 एवं अंतिम डिक्री की अपील की समयावधि दिनांक 20.09.2012 थी। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील करीब साढ़े 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से तथा अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील करीब साढ़े 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं वह न तो उचित प्रकट होते हैं न ही इतने वर्षों विलम्ब के लिए उन्हें पर्याप्त कारण ही माना जा सकता है। तदनुसार दोनों अपीलें बेरुन मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर प्रकरण पर उपलब्ध दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल चोर्डिया को सुनकर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में

प्र.सं. 36/23, 37/23 प्रेमशंकर बनाम श्रीमती जमनीबाई व अन्य

उनका यह कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, उचित प्रकट नहीं होता है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अंतिम डिक्री भी अपीलान्त के अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल की उपस्थिति में पारित की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में स्वयं अपीलान्त मौके पर उपस्थित था, किन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जो पर्चा मौका दिनांक 24.06.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 230/2010 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.06.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2012 यथावत रखी जाती हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर